शोध मंथन ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,Impact Factor 6.726 (SJIF)
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan

लिंग–भेद

डॉ0 ललिता
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महा विद्यालय, बी0बी0नगर, बुलन्दशहर
Email: lalita drlalitasaroha@gmail.com

सारांश

जन्म के पश्चात जैविकीय आधार पर बच्चों की भूमिका और क्षमताओं का निर्धारण होने लगता है और यही समाजीकरण लिंग भेदभाव को जन्म देता है। ओझा 2002 के अनुसार लिंग संबंधों की समस्या संपूर्ण संसार में है और इसकी जड़े पुरूष और नारी लिंगों में जैविकीय अंतर से है जिसे पुरूष ने अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति तथा अपने शक्तिशाली दबाव के कारण हासिल की है।

भारत आध्यात्मिक देश रहा है यहां की संस्कृतिक विशेषताओं की जड़ हमें यहां के धार्मिक ग्रंथों, कथाओं आदि में मिलती है। सांस्कृतिक विशेषताओं में पितृसत्तामकता से जुड़ी अनेक धारणाएं जनमानस में इतनी गहरी है कि यह लिंग भेदभाव एशियाई समाजों में गर्भाशय से शुरू हो जाता है। कुछ परम्परागत समाजों में लड़कियाँ शुरू से यह स्वीकृत करती चली आ रही है कि उनके पिताजी परिवार के मुखिया हैं पुत्र को विशेष आदर देते हैं जो पुत्र की प्रधानता को इंगित करता है और यह असमानता परिवार में ही नहीं बल्कि बाजार, राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में भी होती है।

मधु किश्वर एवं बनिता रूप द्वारा सम्पादित 'इन सर्च आफ आन्सर्सः इंडियन वीमेन्स व्हायसेस फ्राम मानुशी' में मधु किश्वर ने लिखा है कि, ''भारत में स्त्रीत्व का जो व्यापक लोकप्रिय सांस्कृतिक आदर्श है, वह हम लोगों में से ज्यादातर के लिये फांसी का फंदा बन गया है। स्त्री निः स्वार्थ त्याग की मूर्ति है जो देती ही जाती है– अनन्त काल तक अनन्त सीमा तक वह भी गरिमा के साथ हंसते–हंसते, मांगे चाहे जो हों, चाहे जितनी अविवेकपूर्ण और हानिकारक हों, उन्हें पूरा करना उसका कर्त्तव्य है। वह केवल प्रेम अनुराग तथा निः–स्वार्थ सेवा ही नहीं देती, बल्कि पति, बच्चों और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की वेदी पर अपना स्वास्थ्य और जीवन तक न्यौछावर कर देती है। परिवार में स्त्री को दासी मानने और उसके प्रति अनादर का भाव रखने की विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इसके कारण स्त्रियों को लाठी और गाली से दबाना आम बात माना जाता है।''

नारी को हमेशा से एक 'ऑब्जेक्ट' माना गया है फिर वह चाहे पाश्चात्य में किर्केगार्द हो जिन्होंने नारी को जटिल रहस्मय सृष्टि माना' या फिर नीत्शे 'जिसने माना कि नारी पुरूष का सबसे पसंदीदा या कहें कि खतरनाक खेल है', वहीं दूसरी जगह रूसो ने 'स्त्री की निर्मिति

1018 Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan
पुरूष को खुश करना स्वीकारा'।

भारतीय संदर्भों में भी स्त्री को 'सेक्स ऑब्जेक्ट' के रूप में देखा व स्वीकारा गया जहाँ उसकी उपयोगिता पुरूष को खुश करने तक ही सीमित थी। महादेवी वर्मा लिखती हैं 'स्त्री न घर का अलंकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती है, न देवता की मूर्ति बनकर प्राण प्रतिष्ठा चाहती है। कारण वह जान गई है कि एक का अर्थ अन्य की शोभा बढ़ाना है तथा उपयोग न रहने पर फेंक दिया जाता है तथा दूसरे का अभिप्राय दूर से उस पुजापे का देखते रहना है, जिसे उसे न देकर उसी के नाम पर लोग बाँट लेंगें''। लैंगिक असमानता का आधार सेक्स है, परन्तु लैंगिक असमानता वर्तमान समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। मध्यकाल से ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट शुरू होकर गर्त तक पहुंच गई थी जिस कारण महिलाओं को आज तक भी पुरूषों के समान नहीं समझा जाता है।

मुख्यशब्द– *जेंडर , असमानता, मानसिकता, सामाजिक, प्रतिष्ठा, वर्चस्व, संवैधानिक प्रावधान, साम्प्रदायिक सास्कृतिक ।*

प्रस्तावना

विभिन्न कालों में नारी की स्थिति

प्राचीन काल में नारी–नारी बिना संसार अधूरा है। मनु ने तो नारी को घर की लक्ष्मी एवं शोभा बताते हुए यहां तक कहा कि – ''हे महाभाग! नारियां सन्तानोत्पादन के निमित्त आदर सत्कार के योग्य घर की दीप्ति है और लक्ष्मी के रूप में रहती है, इन दोनों में कोई विशेष नहीं है अर्थात् दोनों समान हैं।'' प्राचीन काल में शास्त्रों में स्त्रियों की महत्ता एवं योग्यता बताते हुये यह कहा गया है कि, स्त्री पवित्रता, कामधेनु, श्रद्धा, सिद्ध ऋषि, अन्नपूर्णा यहां तक कि सब कुछ है जो मानव के सभी प्रकार के कष्टों, संकटो एवं अभावों का निवारण करने में पूर्णतः समर्थ है। वैदिक काल में स्त्रियों को पूज्य माना जाता था जिसका पता ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' सूक्ति से चलता है।

वैदिक काल में स्त्रियों को पुरूषों के समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। परन्तु शिक्षा का पाठ्यक्रम पृथक–पृथक था। जैसे ब्राहम्णों की कन्याओं को वैदिक ऋचाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी जबकि क्षत्रिय कन्याओं को तीर–कमान, भाला, तलवार आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था परन्तु इस युग में शूद्र जाति की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने से पूर्णतः वंचित थी अर्थात स्त्रियों की शिक्षा वर्ण व्यवस्था से पूर्णतः प्रभावित थी।

प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित होने के कारण पुरूषों में शिक्षा केवल उच्च वर्ण के लोगों तक ही सीमित थी। शूद्र वर्ग के पुरूषों एवं स्त्रियों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। इस वर्ग के लोगों का कार्य केवल उच्च वर्ग के लोगों को सेवा प्रदान करना था। शूद्र शिक्षा से पूर्णतः वंचित थे। महाभारत काल में द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य को शूद्र वर्ण से सम्बन्धित होने के कारण शिक्षा प्रदान न करना इसका जीवन्त उदाहरण है।

मध्यकाल में

भारत में मध्यकाल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, बौद्ध काल एवं मुस्लिम काल। बौद्ध धर्म की स्थापना समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने एवं सभी वर्ण के पुरूष एवं स्त्रियों को समाज में स्थान प्रदान करने के लिए की गई थीं बौद्ध काल के प्रारम्भ में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया परन्तु कालान्तर में स्त्रियों को भी पुरूषों की भांति शिक्षा प्रदान की जाने लगी। बौद्ध शिक्षा केन्द्रों में स्त्रियों एवं पुरूषों को समान अधिकार प्राप्त थे। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस काल में महिलाओं एवं पुरूषों की सामाजिक स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को भी महत्व दिया जाता था अशोक महान द्वारा अपनी पुत्री शंघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्री लंका भेजना इस बात का प्रमाण है।

मुस्लिम काल आते–आते समाज में पुरूषों का वर्चस्व स्थापित हो गया एवं स्त्री केवल गृहणी बन कर रह गई। पर्दा प्रथा प्रचलित होने के कारण स्त्रियों का जीवन चार दीवारी के अन्दर ही सिमट कर रह गया और महिलाऐं शिक्षा से पूर्णतः वंचित हो गई। महिलाओं में अशिक्षा के कारण वे हीन भावना की शिकार होती गई फलस्वरूप इस काल में महिलाओं का व्यक्तित्व विकास पूर्णरूप से दब गया और वे सिर्फ पुरूष अनुगामिनी बन कर रह गई। आक्रमण का भय महिलाओं के लिये सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ महिलाओं का जीवन केवल घर में ही सीमित रह गया। मध्यकाल में महिलाओं को केवल हवस पूरा करने की वस्तु मानाा जाता था। सती प्रथा प्रचलित होने के कारण इस समय में पति के मर जाने पर स्त्रियों को जिन्दा जला दिया जाता था। अधिकांशतः क्षेत्रों में बाल विवाह प्रथा प्रचलित होने के कारण महिलाओं का बचपन से ही शोषण शुरू हो जाता था। कम उम्र में मां बनने के कारण कई स्त्रियां या तो जीवन भर बीमार रहतीं थी या मर जाती थीं।

मुस्लिम शासन काल में निरंकुश राजाओं के शासन काल में स्त्रियों की दशा और भी खराब थी। दास प्रथा प्रचलित होने के कारण दासों पर भी अत्याचार किया जाता था। सामंत वर्ग के पुरूषों एवं स्त्रियों का जीवन उच्च कोटि का था, उनका पूरा कार्य दासों को करना पड़ता था। किसान वर्ग के पुरूष स्त्रियां भी उपेक्षित रहे, किसानों को कर देना पड़ता था जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति में कभी सुधार नहीं हो पाया।

मध्यकाल में केवल कुछ ही स्त्रिया शिक्षा ग्रहण कर पाईं वो जो शासक वर्ग से सम्बन्धित थीं। इनमें गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल, जेब–निस्सा, जहां आरा बेगम ने उच्च शिक्षा प्राप्त थी। मध्यकाल के अन्त तक स्त्रियों की शिक्षा का स्तर इतना गिर गया था कि 19वीं सदी के प्रारम्भ में महिलाओं की साक्षरता केवल 2 प्रतिशत रह गई।

ब्रिटिश काल में

ब्रिटिश युग का आरम्भ भारत में अंग्रेजों के शासन काल से माना जाता है। इस समय में स्त्रियां अशिक्षित थीं। समाज में अभी भी स्त्री को उपभोग की वस्तु माना जाता था। अंग्रेजों के शासन के कारण निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के महिलाओं एवं पुरूषों दोनों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होने लगी। जिस वर्ग के लोगों का शोषण राजाओं द्वारा किया गया था इसी

1020 Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan
वर्ग का शोषण अंग्रेजों द्वारा किया जाने लगा। इस समय भी भारत में पर्दा प्रथा, सती प्रथा एवं बाल विवाह प्रथा प्रचलन में थी। इस समय में महिलाओं एवं पुरूषों का क्रय विक्रय भी प्रचलन में था।

गांधी जी ने महिलाओं की समाज में स्थिति का वर्णन किया है। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि – '' ये हमारी अभागी बहनें जिन्हें पुरूषों ने अपनी हवस के लिये बेच दिया है, यह बड़े शर्म व दुःख की बात है। महिलाओं के लिए बड़ी ही अपमानजनक स्थिति है। पुरूष जो कानून बनाने वाला है, उसे महिलाओं के प्रति किए गए व थोपे गए अपमानजनक नियमों व कानूनों के लिए भयानक दण्ड चुकाना पड़ेगा। ''

ब्रिटिश काल के कुछ शासकों ने महिला शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये भी कार्य किया। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिये अलग से विश्वविद्यालय खोले जाने लगे। कुछ समाज सुधारकों जैसे महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने भी महिलाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये अथक प्रयास किये। फलस्वरूप महिलाओं के सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई। उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक दास प्रथा समाप्त हो गई अर्थात निम्न वर्ग के पुरूष एवं महिलायें स्वतंत्र जीवन यापन करने लगे।

आधुनिक काल में

आधुनिक काल में पुरूष व स्त्रियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं जिसका मुख्य कारण शिक्षित समुदाय है। समाज में पुरूष तथा स्त्रियों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें इसके लिये सरकार द्वारा कानून का निर्माण किया गया। स्त्रियां समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। इसकेलिये आज उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। राज्य सरकारें उनकी शिक्षा के लिये विशेष प्रोत्साहन दे रही हैं।

21 वीं सदी के आधुनिक समाज में स्त्रियां पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं इसकी छवि किसी भी महानगर में देखी जा सकती है। आज किसी भी व्यवसाय में स्त्रियों एवं पुरूषों को समान अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। आज स्त्री एक दासी न होकर अर्धांगिनी है। ग्रामीण क्षेत्रों को यदि छोड़ दिया जाये तो पर्दा प्रथा समाप्त हो गई है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिये कड़े कानून बना दिये गये हैं। आज के समय में स्त्रियों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। प्राचीन काल में कर्तव्य केवल महिलाओं के लिए होते थे वे आधुनिक समाज में पुरूषों के लिये भी निर्धारित किये गये हैं।

जेण्डर के प्रति कानून का प्रभाव

भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने तथा जेण्डर समानता की दृष्टि से कई कानून बनाये गये जिसमें महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति, निर्णय लेने में महिलाओं को महत्व, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समाप्ति महिलाओं को आरक्षण, महिला पुरूष समान वेतन, महिला आयोग, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति इत्यादि प्रयास किये गये। जिससे समाज में जेण्डर के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो और महिला सबल हो।

भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है जहां महिला व पुरूषों में संस्तरण देखने को मिलता है। इस उच्चता व निम्नता की स्थिति से निजात पाने के लिए तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने एवं महिला अधिकारों के हनन को कम करने के लिए भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए मानवाधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में मानवाधिकार को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख उल्लेख संविधान के भाग चार में किया गया है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार बाध्य है। परन्तु नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु सरकार बाध्य नहीं है।

संवैधानिक प्रावधान –

1. **अनुच्छेद 14** –इस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि कानून के समक्ष सभी समान है। सभी को कानून के द्वारा समान सुरक्षा व संरक्षण प्राप्त होगा। किसी भी नागरिक को वर्ण, जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान, भाषा आदि के आधार पर न तो विशेषाधिकार प्राप्त होगा और न ही उससे पूर्णताः वंचित किया जा सकता है।
2. **अनुच्छेद 15**–राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु विशिष्ट प्रावधान कर सकता है।
3. **अनुच्छेद 16**– राज्य के अधीन किसी रोजगार या नियुक्ति के बाबत नागरिकों को लिंग, आयु, जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।
4. **अनुच्छेद 21** –यह अनुच्छेद प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण के अधिकार की व्यवस्था करता है। यह अधिकार स्त्री पुरूष को समान संरक्षरण देता है।
5. **अनुच्छेद 23** –मानव व्यवहार महिलाओं का अनैतिक देह व्यापार, बेगार या अन्य प्रकार की बंधुओं मजदूरी को पूर्णतया अवैध घोषित करता है। महिलाएं भी पुरूषों की भांति स्वेच्छा से किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। अल्पसंख्यक पुरूषों और महिलाओं को स्वयं की शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार प्राप्त है।
6. **अनुच्छेद 39**–पुरूष और स्त्री, नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। पुरूष और स्त्रियां समान कार्य हेतु समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखती है।
7. **अनुच्छेद 39 ई**– स्त्री व पुरूष कर्मचारी के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग न हो, की व्यवस्था करता है। स्त्रियों के लिए प्रसूतिकाल में अवकाश की व्यवस्था की गई है।
8. **अनुच्छेद 42** –राज्य काम करने की न्यायपरक एवं मानवीय परिस्थितियां पैदा करेगा और मातृत्व लाभ देना सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करने का प्रावधान है।

1022 Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan

9. **अनुच्छेद 51–**प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के विरूद्ध है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये गये है।
10. **अनुच्छेद 325, 326 –**निर्वाचक नामावली में महिला और पुरूषों को समान रूप से मत देने और चुने जाने का अधिकार देता है।

महिला मानवाधिकारों के संबंध में अधिकार

1. **चलचित्र अधिनियम 1952** – इस अधिनियम में सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो ऐसी फिल्मों पर रोक लगायेगा जिससे महिलाओं की मर्यादा भंग होती है।
2. **स्त्री विशिष्ट रूपण (प्रतिबंध)1986** – इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता है, जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को अघात पहुंच। समस्त विज्ञापन, प्रकाशन आदि में अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाया गया है।
3. **प्रसवपूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994**– इस अधिनियम द्वारा गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाई गई है।
4. **घरेलू हिंसा अधिनियम –2007** एवं निर्भया अधिनियम 2013– महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उसके विकास हेतु उन्हें समाज व संविधान ने कई अधिकार तो दे दिए है, ताकि वह अपने हक को पा सके, किन्तु क्या इन अधिकारों के बनने से ही उनकी स्थिति सुधर जायेगी, क्योंकि इस अधिकार से उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त होगा, इससे एक कुशल समाज का निर्माण होगा। स्वामी विवेकानन्द का कहना है कि ''महिलाओं की दशा में सुधार न होने तक विश्व का कल्याण उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार पक्षी का एक पंख से उड़ना।
5. **महिलाओं की दुदर्शा का मूल है**– 'अशिक्षा' अतः लड़कियों एवं महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयास सरकारी एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर तीव्र गति से किये जाने चाहिए। सामाजिक मानसिकता से भी परिवर्तन लाया जाये और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। अभी कुछ दिनों पूर्व की एक घटना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मौलाना आजाद लाइब्रेरी में छात्राएं प्रवेश नही कर सकती थी। छात्राएं काफी समय से पुस्तकालय में प्रवेश करने की मांग कर रही थी। लेकिन वहां के उपकुलपति ने यह कहकर उनकी मांग ठुकरा दी कि यदि छात्राओं को लाइब्रेरी में आने दिया तो चार गुना छात्र उनके पीछे पीछे चले जायेंगे।

लैंगिक असमानता को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये सुझाव

प्रायः सुबह से रात तक वह परिवार के विभिन्न कार्यों से व्यस्त रहती है कभी–कभी वह अपने स्वास्थ्य की भी अपेक्षा कर जाती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार द्वारा महिला को सम्मान की दृष्टि से देखा जाये उसकी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में उसकी सहायता की जाये, घरेलू कार्यों को हेय दृष्टि से न देखा जाये जहाँ तक सम्भव हो घर के दूसरे सदस्य भी घरेलू कार्यो में सहयोग दें ताकि महिला पर ही सारे कार्य का बोझ न पड़े।

- कार्यशील महिलाओं के प्रति उदारतावादी एवं सहयोग पूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए।
- घरेलू महिलाओं द्वारा किये गये कार्यों को उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिये जितना पुरूष के कार्यो को दिया जाता है।
- केवल बेटियों को नहीं बल्कि बेटों को भी सभ्यता से शांत रहकर बात करना सिखायें।
- बेटियों को भी अपना पक्ष रखने की पूर्ण आजादी दें।
- माताऐं वित्त से जुड़ें मामलों में रूचि दिखायें, बच्चों को यह समझायें कि महिलायें किसी से कम नहीं।
- प्यारी गुड़िया, सुन्दर राजकुमारी जैसे शब्दों के साथ –2 बहादुर, मजबूत एवं निडर बेटी जैसे शब्दों को भी इस्तेमाल करें।
- लड़कियों की सुन्दरता , रंगरूप के साथ–2 उनकी बुद्धिमतापूर्ण खूबियों की भी तारीफ करें।
- छोटे–मोटे घरेलू काम बेटे व बेटी दोनो से करायें। दोनों को समझायें कि अपने काम उन्हें ही करने होगें।
- लड़कों के साथ–2 लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनने की सीख दें।
- मास मीडिया की भूमिका महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक लक्ष्य और साधन दोनों रूपों में है।
- महिलाएं खुद अपना सपना देखें एवं उसे साकार करने का प्रयास करें।
- लड़के एवं लड़कियों को माता पिता से बराबर का प्यार एवं देखभाल और सम्मान मिलें।
- लड़के, लड़कियों, महिलाओं एवं पुरूषों को समान पोषण, स्वास्थ्य सेवाऐं, शिक्षा, रोजीरोटी कमाने एवं विकास के समान अवसर मिलें।
- अपने स्वयं के विचारों में सभी सकारात्मक परिवर्तन करें।
- अपने समुदायों में लिंग, पक्षपात और महिलाओं के प्रति हिंसा पर बातचीत करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- पुरूष महिलायें दोनों परिवार के फैसलों में बराबर की भूमिका निभायें।
- दोनों सामुदायिक फैसलों में भी शामिल हों।
- लोगों के मन में यह सोच विकसित करना कि महिला व पुरूष जीवन साथी के रूप में निजी एवं सार्वजनिक जीवन में एक समान हैं।
- कानूनी समानता के लिये राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों एवं महिलाओं के लिये आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अवसर बढ़ानें के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किये जायें।

- विज्ञापनों में महिलाओं की छवि सुधारने के कठोर प्रयास किये जाने चाहिये।
- मीडिया में नारी की सकारात्मक एवं सृजनात्मक छवि का प्रचार तथा नकारात्मक, पारम्परिक रूढ़िवादी छवि को हतोत्साहित करने के लिये युवाओं की तैयार किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में लड़की के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है किन्तु शिक्षित परिवारों में और अन्य वर्ग की विचारधारा में अब निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह परिवर्तन शिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय महिलाओं में आई जागृति का परिणाम है। वे नहीं चाहती कि उनकी बेटियां भी दमन का जीवन व्यतीत करें। यह भी प्रकाश में आया है कि हाल के वर्षो में दिल्ली एवं मुंबई के शिक्षित वर्ग की महिलाओं में भ्रूण जांच परीक्षण के विषय में प्रतिकूल विचार उत्पन्न हुए है। इस विषय में राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसियों, यूनिसेफ एवं यूनिफेम के योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा।

विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रतिभा एवं मानसिक योग्यताओं के संबंध में स्त्री और पुरूष दोनों समान हैं। कई क्षेत्रों में तो लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है और उन क्षेत्रों में अपना नाम विख्यात किया है। साइना मिर्जा, साइना नेहवाल, मेरीकाम, दीपिका, गीता फोगॉट आदि ने खेल के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है, जो पहले पुरूष प्रधान क्षेत्र माने जाते थे। आज लड़कियों को पसन्द किया जाता है क्योंकि वे अपने माता –पिता से भावनात्मक स्तर पर निकटता निरन्तर बनाए रखती है।

लिंग के आधार पर असमानता को कम करने के लिए भरसक प्रयास किये गए हैं। शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी के परिणामस्वरूप् ही यह सुधार संभव हुआ है। इसी तरह स्कूलों में लड़कियों की भर्ती में भी इजाफा हुआ है। उच्च शिक्षा में लड़कियों का अधिक पंजीकरण लड़कियों की शिक्षा में सुधार का प्रतीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्थिति सुधरती नजर आ रही है। अतः कहा जा सकता है कि भारत में शनै–शनै लड़कियों के प्रति नजरिया बदल रहा है। लड़कियों का सामाजीकरण पारम्परिक मान्यताओं, सामाजिक मानकों एवं मूल्यों तथा परिवार एवं वैवाहिक संस्थानों से प्रभावित होता है अतः परम्परागत मान्यताओं को तोड़ते हुए हर वर्ग के लोगों के बीच नये सामाजिक प्रतिमान स्थापित करने होंगें। इसके अतिरिक्त परम्परागत विचारधाराओं और प्रथाओं में सुधार करना होगा। सामाजिक परिवर्तन के लिए मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन अत्यन्त अनिवार्य है। लड़कियों के साथ लिंग के आधार पर असमानता तथा भेदभाव को दूर करने के लिए समान विकास तथा कानूनी नीतियों को अपनाना होगा।

मीडिया महिलाओं के प्रति अपराध, शिक्षा में भेदभाव, दहेज, बलात्कार लिंग भेदी विषयों से सम्बन्धित रिपोर्ट एंव आकड़ों की वास्तविक सूचना, समाचार, फिल्म, सीरियल, डॉक्यूमेन्ट्री, एनीमेशन आदि माध्यमों से जनता और सरकार तक पहुँचाकर इन सभी प्रकार के अपराधों एवं शोषणों के विरूद्ध मुखर आवाज देकर जनता को जागरूक एवं इसके विरूद्ध शक्तिशाली माहौल बनाना चाहिये।

जब शोषण की शिकार महिलाओं को सरकार, पुलिस एवं न्यायालय की विसंगतियों के कारण न्याय नहीं मिल पाता तो उन मामलों में जनमत निर्माण द्वारा दबाब समूहों का निर्माण कर न्याय का मार्ग मीडिया द्वारा प्रशस्त किया गया है। जेसिका लालकेस, इशरत जहां मुठभेड़, रूचिका यौन उत्पीड़न केस, प्रिय दर्शनीम केस, भंवरी देवी अपहरण एवं हत्या 16 दिसम्बर सन 2012 में दिल्ली का बहुचर्चित निर्भया गेंगरेप काण्ड, आसाराम बाबू, और उनके बेटे नारायण सांई बलात्कार केस, यू0एस0ए0 पुलिस द्वारा भारतीय राजनयिक देवनानी रवोबर गेड के साथ दुर्व्यवहार, मुज्जफरपुर बालिका गृहकांड, देवरिया बालिका गृह मामला आदि कुछ मामलों में भारतीय मीडिया द्वारा निभायी गयी भूमिकायें इसके जीवंत उदाहरण है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. Agarwal Sushila1988– *Status of womesn* Printewell Publishers, Jaipur (India)
2- Inderjit Singh, *Panchayati Raj in India*
3- T. SadaShivam " *Inclusive democracy in India- Still a Jurney ahead*". Kurukshetra Agust 2013.
4. *स्थानीय संसाधनों के सतत् प्रबंधन में स्वसहायता*–एन0 ललिता समूह, योजना, फरवरी 2011
5- Census india gov. in /Census data 2011/ India at glance.
6- Annual health survey Bultet in -2010-11 Affaris 10 Aug 2011
7. संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट दैनिक जागरण 20 जुलाई 2014.
8. National Crime Bureau Report 2015.
9. *लैंगिक संवेदनशीलता* : सम्पादक डॉ की कीर्ति सिहं
10. मधु किश्वर एवं बनिता रूप द्वारा सम्पादित *'इन सर्च ऑफ आन्सर्सः इण्डियन वीमेन्स व्हायसेस फ्राम मानुषी* 1998.